संलग्नक-6/1-3

प्रेषक,

शिव कुमार सिंह
विशेष न्यायाधीश, पाक्सो एक्ट/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
श्रावस्ती।

सेवा में,

माननीय जनपद न्यायाधीश
श्रावस्ती।

विषय– अर्द्धशासकीय पत्र संख्या 7/2020 दिनांकित 20.02.2020 के माध्यम से वस्तुस्थिति स्पष्ट करने के सम्बन्ध में मांगी गयी आख्या के बावत्।

महोदय,

ससम्मान निवेदन है कि विशेष विचारण पाक्सो संख्या 60/2019 अपराध संख्या 230/2019 राज्य प्रति कमल कुमार आर्या अर्न्तगत धारा 363,366 भा0द0स0 व धारा 7/8 पाक्सो एक्ट थाना कोतवाली भिनगा जनपद श्रावस्ती से सम्बन्धित पत्रावली मेरे न्यायालय में लम्बित है।

माननीय महोदय के उपरोक्त अर्द्धशासकीय पत्र के पैरा–2 में उल्लिखित तथ्य कि उक्त मामले में दिनांक 10.10.2019 को न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किये जाने के उपरान्त उपरोक्त मामले में अन्तर्गत धारा 363,366 भा0द0स0 व धारा 7/8 पाक्सो एक्ट में प्रसंज्ञान लिया गया है। यह तथ्य पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के अनुरूप है। इस सम्बन्ध में कोई अतिरिक्त तथ्य का ब तलाया जाना अपेक्षित नहीं है।

माननीय महोदय आपके द्वारा प्रेषित उपरोक्त अर्द्धशासकीय पत्र के पैरा–4 में उल्लिखित तथ्य कि अभियुक्त के विरूद्ध दिनांक 13.12.2019 को अन्तर्गत धारा 363,366 भा0द0स0 व धारा 7/8 पाक्सो एक्ट के तहत आरोप पत्र विरचित किये गये और अभियुक्त के विरूद्ध आरोप उनके द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र दिनांक 11.10.2019 के निस्तारण के उपरानत विरचित किया गया है, जो कि पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आलोक में पूर्णतया सत्य है। इसके सम्बन्ध में कोई अतिरिक्त तथ्य के उल्लेख की आवश्यकता अपेक्षित नहीं है।

माननीय महोदय के उपरोक्त अर्द्धशासकीय पत्र के पैरा–3 में उल्लिखित तथ्य कि उपरोक्त मामले के उपरोक्त अभियुक्त कमल कुमार आर्या पुत्र शिव प्रसाद की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र संख्या 322/2019 दिनांक 11.10.2019 को गुण दोष के आधार पर निस्तारित किया गया है यह तथ्य भी पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के आलोक में पूर्णतया सत्य एवं सही है।

माननीय महोदय के द्वारा उपरोक्त अर्द्धशासकीय पत्र के पैरा–3

के आखिरी पंक्ति में जमानत आदेश में मेरे द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध धारा 7/8 पाक्सो एक्ट का अपराध न बनने के संदर्भ में निष्कर्षित किये जाने का जो तथ्य उद्घाटित किया गया है इस संदर्भ में यह ससम्मान निवेदन है कि जमानत प्रार्थना के निस्तारण के वक्त मामले के गुण दोष की तह में जाकर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना अपेक्षित एवं न्यायोंचित नहीं होता है और जमानत प्रार्थनापत्रों के निस्तारण के वक्त न्यायालय द्वारा मामले के गुण दोष में न जाकर पक्षकारों के द्वारा प्रस्तुत तथ्यों, तर्कों एवं परिस्थितियों के आलोक में जमानत प्रार्थनापत्रों का निस्तारण किया जाता है। वर्तमान मामले में भी पक्षकारों के द्वारा प्रस्तुत तथ्यों और तर्कों के आलोक में जमानत प्रार्थनापत्र निस्तारित करके ही आदेश पारित किया गया है जिसमें बचाव पक्ष की ओर से पीडिता के द्वारा हर स्टेज पर स्वयं को वयस्क होने का तथ्य उद्घाटित किया है। धारा 164 सी0आर0पी0सी0 में मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान देते वक्त उसने धारा 363,366 भा0द0स0 का अपराध अभियुक्त द्वारा कारित करने का खण्डन किया है और इसी आधार पर उनके अधिवक्ता की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि चूंकि पीडिता ने अभियुक्त के विरूद्ध धारा 363,366 भा0द0स0 के आरोपों का खण्डन कर दिया है और स्वयं को बालिग होना बतलाया है, इसलिये अभियुक्त के विरूद्ध धारा 7/8 पाक्सो एक्ट का अपराध नहीं बनता है। यह निष्कर्ष और तर्क बचाव पक्ष के अधिवक्ता का है न कि न्यायालय का। बचाव पक्ष के द्वारा जो विस्तृत तर्क एवं तथ्य जमानत प्रार्थनापत्र में बहस के दौरान उद्घाटित किये गये हैं उन्हीं को संकलित करते हुये न्यायालय के द्वारा मात्र यह आदेश पारित किया गया है कि "उभय पक्ष की ओर से रखे गये तर्कों और साक्ष्यों के आलोक में मामले के गुण दोष में न जाते हुये अभियुक्त कमल कुमार आर्या का जमानत का आधार पर्याप्त है।" और इसी आधार पर अन्तिम निष्कर्ष प्रतिपादित किया गया है।

न्यायालय के द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र के निस्तारण में कोई अपना निष्कर्ष प्रतिपादित नहीं किया गया है। सम्भवतः बचाव पक्ष के तर्कों को न्यायालय का निष्कर्ष समझ लेने के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गयी है जबकि आदेश में कहीं भी इस तथ्य का उल्लेख नहीं किया गया है कि "न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि अभियुक्त के विरूद्ध धारा 7/8 पाक्सो एक्ट का अपराध नहीं बनता है।"

जमानत प्रार्थनापत्र पर पारित आदेश अन्तवर्ती आदेश की श्रेणी में आता है इसका कोई सम्बन्ध एवं प्रभाव मुकदमें के गुण दोष से नहीं होता है।

माननीय महोदय, पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के आलोक में यह सही है कि अभियुक्त के विरूद्ध बाद विवेचना आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया है एवं उपरोक्त मामले में धारा 363,366 भा0द0स0 व धारा 7/8 पाक्सो एक्ट के अन्तर्गत प्रसंज्ञान लिया गया है और दिनांक 13.12.2019 को

आरोप पत्र में उल्लिखित धाराओं के तहत अभियुक्त के विरूद्ध आरोप विरचित किया गया है, क्योंकि जिन धाराओं के तहत अभियुक्त का किसी अपराध के सम्बन्ध में प्रसंज्ञान लिया जाता है उन्हीं अभियोजन साक्ष्यों जिसे विवेचक ने दौरान विवेचना संकलित किया होता है, उसी के आधार पर न्यायालय के द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध आरोप विरचित किया जाता है। इसलिये इस प्रकरण में भी उन्हीं साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध आरोप अन्तर्गत धारा 363,366 भा0द0स0 एवं धारा 7/8 पाक्सो एक्ट विरचित किया गया है। जमानत प्रार्थनापत्र के निस्तारण के दौरान न्यायालय के द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध किसी धारा या अधिनियम के तहत अपराध बनने या न बनने के सम्बन्ध में कोई निष्कर्ष प्रतिपादित नहीं किया जाता है। इस सम्बन्ध में बचाव पक्ष की ओर से अपने तर्को में बल प्रदान करने हेतु कहा अवश्य जाता है लेकिन न्यायालय बचाव पक्ष एवं अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत किये गये तर्कों और साक्ष्यों को समग्र रूप से अवलोकित करके अभियुक्त के जमानत प्रार्थनापत्र को निस्तारित करने के संदर्भ में आदेश पारित करता है।

उपरोक्त प्रकरण में भी ऐसा ही आदेश एवं निष्कर्ष प्रतिपादित किया गया है। मामले के गुण दोष को बिना स्पर्श किये ही जमानत प्रार्थना पत्र निस्तारित किये जाने का आदेश पारित किया गया है, जो कि उचित एवं न्याय संगत प्रक्रिया है। इसलिये अभियुक्त के विरूद्ध प्रेषित आरोप पत्र अन्तर्गत धारा 363,366 भा0द0स0 व धारा 7/8 पाक्सो एक्ट के आधार पर उसके विरूद्ध उन्हीं धाराओं में आरोप विरचित किया गया है एवं विधि अनुसार विचारण अन्तर्गत धारा 363,366 भा0द0स0 व धारा 7/8 पाक्सो एक्ट अग्रसर है, जिसमें अब तक 3 गवाह परीक्षित हो चुके हैं।

अतः वस्तुस्थिति के सम्बन्ध में आख्या माननीय महोदय के समक्ष सादर अवलोकनार्थ प्रस्तुत है।

भवदीय

दिनांक 24.02.2020

24/2/2020

शिव कुमार सिंह
विशेष न्यायाधीश, पाक्सा एक्ट/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
श्रावस्ती।